न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 36 / 2025

बउनवान

शम्भूदयाल आयु 48 वर्ष पुत्र श्री ग्यारसीराम जाति माली, निवासी बमूलिया माताजी, तहसील अन्ता जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक– 20.02.2026

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 17.02.2025 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बमूलिया माताजी तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 29 रकबा 0.32 है. किस्म गै.मु. तलाई, पर पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर दिनांक 17.02.2025 को निर्णय पारित कर 768/– रूपये शास्ति आरोपित कर तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट ने तावान की राशि भी जमा करवा दी है तथा अपीलांट का उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है भूमि खाली पड़ी हुई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2025 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयै सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट ने तावान की राशि भी जमा करवा दी है तथा अपीलांट का उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है भूमि खाली पड़ी हुई है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिकमी रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2081 में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 5/24 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जाये।

हमनें बहस उभयपक्ष पर मनन किया संपूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख०नं० 29 रकबा 0.32 है० किस्म गै.मु. तलाई ग्राम बमूलिया माताजी पर सम्वत् 2081 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 5/24 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिकमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 121/2025 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:23 IST
Reason: SelfAttested